भीम

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(2)वि.जाँ./2023–24/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ.7(2)वि.जाँ./2023–24/4476–96 दिनांक 13.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री सुरज्ञान मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रभारी विशेष जांच दल को तत्काल प्रभाव से प्रभारी विशेष जांच शाखा लगाया जाता है एवं श्री भगवान सहाय मीणा, लेखाधिकारी प्रभारी विशेष जांच शाखा को प्रभारी विशेष जांच दल लगाया जाता है साथ ही श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को भी दिनांक 17.02.2025 से 21.02.2025 तक के लिए विशेष जांच दल में दल सदस्य के रूप में लगाया जाता है।

Sd–

(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(2)वि.जाँ./2023–24/ 4673-90 दिनांक :– 17/2/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (छात्रवृत्ति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि एक तकनीकी अधिकारी यथा प्रोग्रामर/ए.सी.पी. जिसे छात्रवृत्ति पोर्टल के संबंध में पूर्ण जानकारी हो को विशेष जांच दल के सहयोग हेतु उपलब्ध करावें, साथ ही विशेष जांच दल को उनके द्वारा आवश्यक समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित श्री सुरज्ञान मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल सं. 09/ श्री भगवान सहाय मीणा, लेखाधिकारी, प्रभारी विशेष जांच शाखा/श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, विशेष जांच शाखा को पालनार्थ।
10. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
11. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें, साथ ही निदेशालय स्तर से विशेष जांच दल को अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान करने की भी सुनिश्चितता करेंगे।
12. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)